रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2017/आश्विन 11, 1939
No. 814] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2017/ASVINA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2017

सं. 22/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 1217(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(i) क्रम संख्या 2 में,—

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "6.48 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "7.66 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 3 में,—

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "8.33 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "10.69 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 4 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उप-खंड (i) में, प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

No. 22/2017-Central Excise

G.S.R. 1217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,

(i) in serial number 2,—

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 6.48 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 7.66 per litre" shall be substituted;

(ii) in serial number 3,—

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 8.33 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 10.69 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 4th October, 2017.

[F. No. 354/123/2014-TRU(Pt-1)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.03 22:23:55 +05'30'